



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28042025-262735
CG-MH-E-28042025-262735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/ वैशाख 5, 1947

No. 315]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/ VAISAKHA 5, 1947

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 24 अप्रैल, 2025

फा. क्र. सीसी/एस एंड बी/एएनडी/2025/048.—यह शुद्धिपत्र भारतीय स्टेट बैंक ('बैंक') की महासभा की सूचना के संबंध में है जो शुक्रवार, 9 मई, 2025 को स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में अपराह्न 03:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

यह शुद्धिपत्र दिनांक 27.03.2025 की महासभा की सूचना में संशोधन के लिए जारी किया गया है जिसे 30.03.2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 02.04.2025 को ईमेल के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को भेजा गया था। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)" के सिद्धांतों पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के लिए जारी राजपत्र अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के आलोक में महासभा की सूचना में, इस शुद्धिपत्र के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. उपरोक्त आरआरबी समामेलन अधिसूचना के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अब 'आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक' के रूप में पुनर्नामित) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और 1 मई, 2025 से यह बैंक का रिलेटेड पार्टी नहीं रहेगा। तदनुसार, सूचना की मद संख्या 14 के संकल्प और व्याख्यात्मक वक्तव्य को वापस लिया गया माना जाएगा।
2. महासभा की सूचना के साथ पठित व्याख्यात्मक वक्तव्य की मद संख्या 18 में "राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक" का नाम आरआरबी समामेलन अधिसूचना के अनुसार "राजस्थान ग्रामीण बैंक" के रूप में पढ़ा जाएगा।
3. सूचना की मद संख्या 1 से 13 पर संकल्प और व्याख्यात्मक वक्तव्य अपरिवर्तित रहेंगे। सूचना की मद संख्या 15 से 18 पर संकल्प और व्याख्यात्मक वक्तव्यों को मद संख्या 14 से 17 के रूप में पढ़ा जाएगा। तदनुसार, बैंक की महासभा में विचार हेतु रखे जाने वाले कुल व्यावसायिक विषयों की संख्या 17 होगी।

महासभा की सूचना के अन्य सभी विषय यथावत रहेंगे।

सूचना का यह शुद्धिपत्र महासभा की सूचना, जिसे पहले ही बैंक के शेयरधारकों को भेजा जा चुका है, का एक अभिन्न अंग होगा। तदनुसार, महासभा की सूचना हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ी जाएगी। यह शुद्धिपत्र बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./47/2025-26]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 24th April, 2025

F. No. CC/S&B/AND/2025/048.—This corrigendum is regarding the Notice of General Meeting of the State Bank of India ('the Bank') scheduled to be held at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai - 400021 on Friday, 9th May, 2025 at 03:00 PM through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM').

This corrigendum is issued to amend the Notice of General Meeting dated 27.03.2025 which was published in the Gazette of India on 30.03.2025 and dispatched to the shareholders of the Bank vide email dated 02.04.2025. In the light of Gazette notification no. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India for the amalgamation of 26 Regional Rural Banks ('RRBs') on the principles of "One State One RRB", the following amendments are carried out vide this corrigendum in the Notice of General Meeting.

1. Consequent to the aforesaid RRB amalgamation notification, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (now renamed as 'Andhra Pradesh Grameena Bank') will be sponsored by the Union Bank of India and shall cease to be a related party of the Bank effective May 1, 2025. Accordingly, the resolution and explanatory statement for Item no. 14 of the Notice shall stand withdrawn.

2. The name “Rajasthan Marudhara Gramin Bank”, wherever appears at Item no. 18 of the Notice of General Meeting, read with explanatory statement, shall be read as “Rajasthan Gramin Bank” pursuant to the RRB amalgamation notification.
3. The resolutions and explanatory statements at Item no. 1 to 13 of the Notice remain unchanged. The resolutions and explanatory statements at Items no. 15 to 18 of the notice shall be renumbered and read as Item no. 14 to 17. Accordingly, the total number of items of business to be transacted at the General Meeting of the Bank will be 17.

All other contents of the Notice of the General Meeting remain the same.

This corrigendum to the Notice shall form an integral part of the Notice of General Meeting which has already been circulated to shareholders of the Bank. Accordingly, the Notice of General Meeting shall always be read in conjunction with this corrigendum. This corrigendum is available on the website of the Bank at www.sbi.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

CHALLA SREENIVASULU SETTY, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./47/2025-26]